मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र./1542/893934/2022/20-2 भोपाल, दिनांक 07.10.2022

प्रति,

कलेक्टर
जिला- समस्त जिले म0प्र0

विषय :-हाज़री ऑनलाईन अटेन्डेन्स सिस्टम (OAS) के संबंध में।

म0प्र0 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शाला जाने योग्य बच्चों का शाला में नामांकन, शाला में उपस्थिति एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदाय करने का प्रावधान है। वर्तमान में म0प्र0 शासन के द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता में लेते हुये अध्ययनरत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उपलब्धि हेतु सतत प्रयास किये जा रहें है। अध्ययनरत बच्चों में गुणवत्ता उपलब्धि के लिये यह आवश्यक है कि बच्चें शाला में नियमित रूप से उपस्थित हो। वर्तमान में शाला में आने वाले बच्चों की दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। अतः विभाग द्वारा एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया है, जिससे छात्रों की राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर दैनिक मॉनिटरिंग की जा सके। इस सिस्टम को **हाज़री - ऑनलाईन अटेन्डेन्स सिस्टम** के नाम से जाना जायेगा। इस सिस्टम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है-

1/ **उद्देश्य**

- छात्रों की दैनिक उपस्थिति हेतु सिस्टम विकसित कर छात्रों की औसत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्रभावी बनाना।
- कमजोर उपस्थिति वाले छात्रों की जानकारी एकत्रित कर कारणों का अध्ययन करते हुये युक्तियुक्त समाधान तैयार करना।
- मॉनिटरिंग तंत्र को प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाना।

2/ **प्रक्रिया**

- विभाग द्वारा हाज़री - ऑनलाईन अटेन्डेन्स सिस्टम के लिये मोबाईल एप्प तैयार किया गया है।
- एम-शिक्षामित्र एप्प को प्लेस्टोर से डाउनलोड/अपडेट करके हाज़री मॉडयूल के माध्यम से प्रदेश के कक्षा-1 से 12 तक के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संस्था प्रभारी बच्चों/शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर सकेगें।
- उस स्कूल में पदस्थ शिक्षकों, प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य की जानकारी HRMIS से उपलब्ध होगी।
- एप्प में शालावार कर्मचारियों को जोड़ने या हटाने के लिये DDO से संर्पक कर जानकारी अपडेट की जा सकेगी।
- प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में समान्यतः मोबाईल नेटवर्क की उपलब्धता नहीं होने के कारण मोबाईल एप्प को इस तरह डिजाईन किया गया है जिससे इसे ऑफलाईन उपयोग किया जा सके। यूजर नेटवर्क एरिया में आने पर डेटा स्वतः अपलोड हो सकेगा।

3/ **एप्प के माध्यम से दैनिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां**

- शाला के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक शाला में पदस्थ शिक्षक एवं बच्चों प्रतिदिन हाज़री मॉडयूल एप्प **के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के एक घंटे के अन्दर छात्रों की उपस्थिति दर्ज करेगे।** इससे बच्चों की शाला में प्रतिदिन उपस्थिति ज्ञात हो सकेगी।
- सायः05 बजे के बाद बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकेगी।
- एप्प पर कक्षावार शाला में दर्ज बच्चों की जानकारी समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज नामांकन अनुसार उपलब्ध होगी।

4/ **मोबाईल एप्प की उपयोगिता**

- हाज़री ऑनलाईन अटेन्डेन्स सिस्टम का डेस बोर्ड अलग से होगा जिससे प्रतिदिन साप्ताहिक एवं मासिक उपस्थिति का जिलेवार, विकासखंडवार, संकूलवार डेटा प्राप्त कर उसकी समीक्षा करते हुये कमजोर उपस्थिति वाले जिलों/विकासखंडों के लिये प्रभावी निर्णय लिये जा सकेगे।
- कमजोर उपस्थिति वाली शालाओं को चिन्हित कर शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों के सहयोग से उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा सकेगे।
- उपस्थिति के आधार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धि स्तर का भी विश्लेषण किया जा सकेगा।
- दैनिक उपस्थिति के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना की भी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रं./राशिके/ईएण्डआर/एसएएस-2022-23/4914 दिनांक 26/8/2022 से सत्र 2022-23 के लिये दिनांक 29.08.2022 से जिला-शाजापुर, छिंदवाड़ा एवं बड़वानी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में यह व्यवस्था शुरु की गई थी। जो कि अत्यधिक सफल रही।

अतः प्रदेश के कक्षा-1 से 12 तक के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संस्था प्रभारी दिनांक 11/10/2022 से प्रतिदिन विद्यालय में पदस्थ शिक्षक एवं छात्रों की शतप्रतिशत उपस्थिति एप्प के माध्यम से दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

7/10/2022

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म0प्र0 शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र./1543/893934/2022/20-2 भोपाल, दिनांक 07.10.2022

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. प्रबंध संचालक, MPSEDC, स्टेट आई टी सेन्टर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक लोकशिक्षण संभाग समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले एवं सहायक आयुक्त संबंधित जिले म.प्र. की ओर सूचित कर लेख है कि समस्त संकुल प्राचार्य एवं संस्था प्रधानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना चाहे।
9. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र जिला समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
10. एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव
म0प्र0 शासन
स्कूल शिक्षा विभाग